अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 96/25 (CIS NO. 96/25)

सौरभ मुखर्जी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस याचिका सं0 96/2025

सौरभ मुखर्जी व अन्य बनाम जविप्रा

दिनांक 28.07.2026

अधिवक्ता रेफरेंसकर्ता श्री कौशल शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह शेखावत उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जी.जी. शर्मा उपस्थित।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका प्रस्तुत कर निवेदन निम्नप्रकार अनुतोष चाहा गया कि:–

अ. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं0 734 दिनांकित 04.10.2022 को निरस्त किया जावे।

ब. वर्तमान याचिका की सुनवाई और अंतिम निस्तारण तक पट्टा प्रविष्टि सं0 734 दिनांक 04.10.2022 पर अंतरिम एकपक्षीय निषेधााा प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेफरेंस प्रस्तुत करने में हुये विलंब क्षमा किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुये रेफरेंस प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किया जाकर रेफरेंस याचिका सुनवाई हेतु ग्राह्‌य की जाती है।

अप्रार्थी जविप्रा व अप्रार्थी सं0 2 की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थी जविप्रा व अप्रार्थी सं0 2 का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 96/25 (CIS NO. 96/25)

सौरभ मुखर्जी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस याचिका का निम्नप्रकार निस्तारण किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

रेफरेंसकर्ता सौरभ मुखर्जी व अन्य की ओर से प्रस्तुत इस रेफरेंस याचिका में यह अधिकरण प्रार्थीगण/रेफरेंसकर्ता को निर्देशित करता है कि वह जविप्रा के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं जविप्रा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को विधिनुसार तय करे, जिसकी सूचना प्रार्थीगण को भी देवे। अथवा प्रार्थीगण वांछित अनुतोष हेतु विधि अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्तानुसार रेफरेंस याचिका का निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **28.07.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर